प्रेस विज्ञप्ति
15/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने वसई विरार नगर निगम (वीवीसीएमसी) के पूर्व आयुक्त, आईएएस, अनिल कुमार खंडेराव पवार; वीवीसीएमसी के नगर नियोजन उप निदेशक, वाई.एस. रेड्डी; बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता को वसई विरार अवैध निर्माण एवं भ्रष्टाचार घोटाले में चल रही धन शोधन जाँच में पीएमएलए के तहत 13.08.2025 को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने मीरा भयंदर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बिल्डरों, स्थानीय गुंडों और अन्य के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला 2009 से "वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (वीवीसीएमसी)" के अधिकार क्षेत्र में "सरकारी और निजी भूमि पर आवासीय सह-व्यावसायिक भवनों के अवैध निर्माण" से संबंधित है। वसई-विरार शहर की स्वीकृत विकास योजना के अनुसार, "सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट" और "डंपिंग ग्राउंड" के लिए आरक्षित भूमि पर समय के साथ 41 अवैध इमारतों का निर्माण किया गया। आरोपी बिल्डरों और डेवलपर्स ने पहले ऐसी भूमि पर अवैध इमारतें बनाकर और फिर जाली अनुमोदन दस्तावेज़ों के ज़रिए उन्हें (आम जनता को) बेचकर आम जनता को धोखा दिया है। यह जानते हुए भी कि ये इमारतें अनधिकृत हैं और अंततः इन्हें गिरा दिया जाएगा, डेवलपर्स ने इन इमारतों में इकाइयाँ बेचकर लोगों को गुमराह किया और इस तरह गंभीर धोखाधड़ी की।

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 08.07.2024 के आदेश द्वारा सभी 41 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसके बाद, 41 अवैध इमारतों में रहने वाले परिवारों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। सभी 41 इमारतों को ध्वस्त करने का काम वीवीसीएमसी द्वारा 20.02.2025 को पूरा किया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण 2009 से चल रहा है। यह पाया गया है कि मुख्य अपराधियों सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता ने जाली समझौते/पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर स्थानीय बिल्डरों को अवैध रूप से 60 एकड़ सरकारी/निजी जमीन बेच दी, जिन्होंने 2013-2021 तक वीवीसीएमसी अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से 41 इमारतों का निर्माण किया।

इसके अलावा, ईडी की जाँच से पता चला कि वीवीसीएमसी के अधिकारियों, जैसे कि आयुक्त, उप-निदेशक नगर नियोजक, कनिष्ठ अभियंता, वास्तुकार, चार्टर्ड एकाउंटेंट और लाइजनर, का एक संगठित गिरोह आपस में मिलीभगत करके काम कर रहा है। यह गिरोह वीवीसीएमसी के अधिकार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के लिए ज़िम्मेदार है और इसके बदले में भारी मात्रा में रिश्वत लेता है।

वीवीसीएमसी के आयुक्त अनिल पवार, आईएएस कथित तौर पर इस गिरोह के संगठन और संचालन के लिए ज़िम्मेदार हैं। जाँच से पता चला कि अनिल पवार के वीवीसीएमसी के आयुक्त के रूप में **कार्यभार संभालने के बाद**, परियोजना के कुल क्षेत्रफल पर डीडीटीपी के रूप में आयुक्त के लिए **20-25 रुपये प्रति वर्ग फुट** और वाई.एस. रेड्डी के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से विभिन्न विकास अनुमतियाँ देने के लिए **कमीशन** की राशि **तय की गई थी**। इसके अलावा, उन्होंने सरकारी/निजी भूमि पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण पर आँख मूंदकर कोई कार्रवाई न करने के लिए कुल 150 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से कमीशन की दर तय की और कमीशन/रिश्वत की राशि तय की।

मामले में कई तलाशी अभियानों के दौरान, बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए, जिनसे पता चला कि अभियुक्तों ने रिश्वत की रकम को सफेद करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों/बेनामीदारों के नाम पर बड़ी संख्या में संस्थाएँ बनाई हैं।

गिरफ़्तार किए गए सभी 4 अभियुक्तों को 14.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 6 दिनों की ईडी हिरासत प्रदान की है।

इस मामले में पहले की गई तलाशी कार्रवाइयों में लगभग 10.27 करोड़ रुपये की नकदी, 23.25 करोड़ रुपये के हीरे जड़ित आभूषण और सोना ज़ब्त किया गया था और 13.86 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस/शेयर/म्यूचुअल फंड/एफडी को फ्रीज किया गया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।

****